

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1260 / 2015 / जयपुर.

2. अपील संख्या – 1261 / 2015 / जयपुर.

मैसर्स अग्रसेन कार्स प्रा० लिमिटेड, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

1. अपीलीय प्राधिकारी-द्वितीय, वाणिज्यिक कर जयपुर.

2. वाणि. कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन-II, जयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

3. अपील संख्या – 69 / 2016 / जयपुर.

4. अपील संख्या – 70 / 2016 / जयपुर.

सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोन-II, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स अग्रसेन कार्स प्रा० लिमिटेड,

ए-7, जाजू टॉवर, हवा सड़क, सिविल लाईन्स, जयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक

.....व्यवहारी की ओर से.

श्री आर. के. अजमेरा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....विभाग की ओर से.

निर्णय दिनांक : 05 / 09 / 2017

निर्णय

1. ये सभी अपीलें अपीलीय प्राधिकारी-द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 159 व 160 / अ.प्रा.-II / आरवीएटी / 2014-15 में पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 08.07.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन-द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 25, 55, 61 के तहत पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 14.7.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, आरोपित कर व ब्याज की पुष्टि की गयी है तथा वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया है। अतः कर व ब्याज के बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील संख्या 1260 / 2015 (कर निर्धारण वर्ष 2013-14) एवं अपील संख्या 1261 / 2015 (कर निर्धारण वर्ष 2014-15) तथा धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति के बिन्दु पर राजस्व द्वारा अपील संख्या 69 / 2016 व 70 / 2016 प्रस्तुत की गयी हैं।

लगातार.....2

2. उक्त चारों अपीलें एक ही पक्षकार से सम्बन्धित होने तथा विवादित बिन्दु समान होने से सभी अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।
3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी फर्म का सर्वेक्षण दिनांक 02.05.2014 को किया जाने पर पाया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा मोटर वाहनों का व्यवसाय किया जाता है तथा व्यवहारी द्वारा अपने वाहनों के विक्रय के साथ अपने ग्राहकों से विभिन्न सेवाओं के बदले लोजिस्टिक चार्ज/हैंडलिंग चार्ज के रूप में एक निश्चित राशि वसूल की जा रही है, किन्तु उक्त राशि पर किसी प्रकार का कर वसूल कर राजकोष में जमा नहीं करवाया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त लोजिस्टिक चार्ज/हैंडलिंग राशि पर वाहन की राशि अनुसार 15 प्रतिशत की दर से करदेयता मानते हुए कर, ब्याज एवं धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण आदेश दिनांक 14.7.2014 से किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त कर निर्धारण आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलें, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.07.2015 से आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, आरोपित कर व ब्याज की पुष्टि की गयी है तथा वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है।
4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवहारी द्वारा ग्राहकों से मोटर वाहन की बिक्री के समय हैंडलिंग चार्ज के रूप में एक निश्चित राशि वसूल की जाती है, जो विक्रय मूल्य का भाग नहीं है, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उसे विक्रय मूल्य का भाग मानते हुए कर एवं ब्याज आरोपित किया गया है, जो अनुचित है। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों पर विचार किये बिना ही कर एवं ब्याज को यथावत रखे जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति के सम्बन्ध में कथन किया कि उनकी समस्त प्रविष्टियां बहियात में की हुई हैं, ऐसी स्थिति में शास्ति का आरोपण प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें स्वीकार किये जाने तथा राजस्व की अपीलें अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।
5. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार किये जाने तथा राजस्व की अपीलें स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।
6. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।




7. पत्रावली पर उपलब्ध इन्वायसेज की छायाप्रतियों में Logistic Charges के नाम पर राशि ग्राहकों से वसूली की जाती है। अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक के कथनानुसार यह राशि ग्राहकों को मोटर वाहन उपलब्ध करवाने तथा अन्य सेवाओं के लिये वसूल की जाती हैं। निश्चित रूप से ये खर्च माल की डिलिवरी पूर्व के हैं। इस बिन्दु के निस्तारण हेतु विक्रय मूल्य की परिभाषा को उद्धरित करना समीचीन होगा -

2(36) "sale price" means the amount paid or payable to a dealer as consideration for the sale of any goods less any sum allowed by way of any kind of discount or rebate according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any statutory levy or any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods or services rendered at the time of or before the delivery thereof, except the tax imposed under this Act;

Explanation I. - In the case of a sale by hire purchase agreement, the prevailing market price of the goods on the date on which such goods are delivered to the buyer under such agreement, shall be deemed to be the sale price of such goods;

Explanation II. - Cash or trade discount at the time of sale as evident from the invoice shall be excluded from the sale price but any *ex post facto* grant of discounts or incentives or rebates or rewards and the like shall not be excluded;

Explanation III. - Where according to the terms of a contract, the cost of freight and other expenses in respect of the transportation of goods are incurred by the dealer for or on behalf of the buyer, such cost of freight and other expenses shall not be included in the sale price, if charged separately in the invoice;

8. व्यवहारी द्वारा वसूल लोजिस्टिक/हैंडलिंग चार्जेज परिभाषा के प्रथम भाग अनुसार विक्रय पूर्व किये गये खर्चे होने के कारण ये विक्रय मूल्य का भाग है। वेट अधिनियम की उक्त धारा 2(36) के तृतीय स्पष्टीकरण में विक्रय बाद के भाड़े की कीमत व परिवहन से सम्बन्धित अन्य खर्चे जो क्रेता-विक्रेता के बीच संविदा की शर्तों अनुसार क्रेता के लिये (on behalf) किये गये हैं, विक्रय मूल्य का भाग नहीं होंगे, लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में लोजिस्टिक/हैंडलिंग चार्जेज परिवहन से सम्बन्धित खर्च नहीं है, इसलिए अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक के तर्क को अमान्य कर लोजिस्टिक/हैंडलिंग चार्जेज को विक्रय मूल्य में शामिल

लगातार.....4

कर इस पर किया गया करारोपण विधिसम्मत होने के कारण उसकी पुष्टि की जाती है तथा देय कर अदेय रहने के कारण ब्याज भी विधिसम्मत रूप से आरोपित किया गया है, जिसकी भी पुष्टि की जाती है।

9. उक्त प्रकरण में प्रस्तुत विधिक बिन्दु पर माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा मैसर्स मरूधरा मोटर्स जोधपुर बनाम वाणिज्यिक कर विभाग, प्रतिकरापवंचन, जोधपुर (2015) टैक्स अपडेट 215 में विस्तृत विश्लेषण के साथ निर्णय किया जा चुका है कि यह चार्जज विक्रय मूल्य का भाग है अतः माननीय कर बोर्ड के निर्णय से कवर्ड होने एवं तथ्यात्मक रूप से प्राप्त चार्जज विक्रय मूल्य का भाग होने से कर एवं ब्याज को यथावत रखे जाने के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध व्यवहारी प्रस्तुत की गई अपीलें अस्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी के आदेश को यथावत रखा जाता है।

10. प्रकरण में वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति आरोपित करने का प्रश्न है, उस पर विचार किया गया। व्यवहारी द्वारा लोजिस्टिक/हैंडलिंग चार्जज से सम्बन्धित समस्त प्रविष्टियों को लेखा-पुस्तकों में इन्द्राजित किया हुआ है तथा ऐसे खर्चे विक्रय मूल्य में शामिल होना विवादित होने की स्थिति में करारोपण की मंशा प्रमाणित नहीं होती है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम स्टेट ऑफ तामिलनाडू के न्यायिक दृष्टान्त (2010) 26 टैक्स अपडेट 01 में यह विधि स्थापित की गयी है कि संव्यवहारों के लेखा-पुस्तकों में एवं विवरण पत्रों में दर्शाये जाने की स्थिति में शास्ति का आरोपण विधिसम्मत नहीं है। अतः शास्ति के बिन्दु पर विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई अपीलें अस्वीकार करते हुए अपीलीय अधिकारी के आदेश को यथावत रखा जाता है।

11. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी व अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत चारों अपीलें अस्वीकार की जाकर अपीलीय आदेश दिनांक 08.07.2015 की पुष्टि की जाती है।

12. निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(क. एल. जैन)
सदस्य